प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 249 सन 2021

अनवान :–

1. मेहरचन्द पुत्र चानणराम जाति जाट साकिन सिखवाला तहसील मिलोट जिला मुक्तसर।

वादी

बनाम

1. सन्तो पत्नी गोपीराम जाति जाट निवासी सिखवाला तहसील मलोट जिला मुक्तसर।
2. सतपालराम पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी सिखवाला तहसील मलोट जिला मुक्तसर
3. जगदीश कुमार पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी सिखवाला तहसील मलोट जिला मुक्तसर
4. सीमा पुत्री गोपीराम जाति जाट निवासी सिखवाला तहसील मलोट जिला मुक्तसर
5. सुनेहरी पत्नी हरफुलराम जाति जाट निवासी सिखवाला तहसील मलोट जिला मुक्तसर
6. रिषिराज पुत्र हरफुलराम जाति जाट निवासी सिखवाला तहसील मलोट जिला मुक्तसर
7. शकुन्तला पुत्री हरफुलराम जाति जाट निवासी सिखवाला तहसील मलोट जिला मुक्तसर
8. दर्शनादेवी पुत्री हरफुलराम जाति जाट निवासी सिखवाला तहसील मलोट जिला मुक्तसर
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री कुलदीप खुडिया अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 27.10.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा डुमासर के खाता संख्या 340/313 की कुल 3.2630हैक एवं रोही मौजा डुमासर के खाता संख्या 283/266 की कुल 7.0200हैक गोपीराम, दुलीचन्द, मेहरचन्द, हरफुलराम के नाम से सयुक्त खाते में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गोपीराम, दुलीचन्द, मेहरचन्द, हरफुलराम के नाम से दर्ज है जिनमें से गोपीराम दुलीचन्द हरफुलराम का देहान्त हो चुका है दुलीचन्द लावल्द फोत हुआ है इसलिये गोपीराम, दुलीचन्द, हरफुलराम के देहान्त होने के बाद उनके नाम से दर्ज भूमि के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 है जो गोपीराम दुलीचन्द एवं हरफुलराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है अर्थात गोपीराम दुलीचन्द एवं हरफुलराम के नाम दर्ज भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है।

प्रतिवादी संख्या 1 गोपीराम की पत्नी है प्रतिवादी संख्या 4 गोपीराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 5 हरफुलराम की पत्नी एवं प्रतिवादी संख्या 7 ,8 हरफुलराम की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ,5 ,7 ,8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3 ,6 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ,6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की गोपीराम, दुलीचन्द, मेहरचन्द, हरफुलराम के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ,6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गोपीराम, दुलीचन्द, मेहरचन्द, हरफुलराम के नाम से दर्ज है जिनमें से गोपीराम हरफुलराम दुलीचन्द का देहान्त हे चुक है जिनके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 है जो वाद भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ,5 ,7 ,8 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पुत्र वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ,6 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ,6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ,6 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के सम्बध में न्यायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा डुमासर के खाता संख्या 340/313 की कुल 3.2630हैक एवं रोही मौजा डुमासर के खाता संख्या 283/266 की कुल 7.0200हैक गोपीराम, दुलीचन्द, मेहरचन्द, हरफुलराम के नाम से सयुक्त खाते में दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि गोपीराम, दुलीचन्द, मेहरचन्द, हरफुलराम के नाम से दर्ज है जिसमें से गोपीराम दुलीचन्द हरफुलराम का देहान्त हो चुका है दुलीचन्द के कोई औलाद नही है इसप्रकार गोपीराम, दुलीचन्द, मेहरचन्द, हरफुलराम के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 जो वाद भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है वादी ने अपने कथनों के समर्थन में मृत्यू प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र पेश किया जिससे वादी के कथनों की पुष्टि होती है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ,5 ,7 ,8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ,5 ,7 ,8 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ,6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ,5 ,7 ,8 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा डुमासर के खाता संख्या 340/313 की कुल 3.2620हैक में मृतक गोपीराम, दुलीचन्द, हरफुलराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 अकेला 1/3 हिस्सा का एवं रोही मौजा डुमासर के खाता संख्या 283/266 की कुल 7.0200हैक में वादी 5377/70200हिस्सा एवं मृतक गोपीराम के नाम 2689/35100हिस्सा मे प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब के एवं मृतक हरफुलराम के नाम दर्ज 2689/35100 हिस्सा में प्रतिवादी संख्या 6 अकेला एवं मृतक दुलीचन्द के नाम दर्ज 5377/70200 हिस्सा में वादी अकेला 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब 1/3 हिस्सा, एवं प्रतिवादी संख्या 6 अकेला 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है मृतक गोपीराम हरफुलराम दुली चन्द का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2021 को प्रशासन गावं कें संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट... गोरखाना.

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
पर्चा डिक्री
(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. मेहरचन्द पुत्र चानणराम जाति जाट साकिन सिखवाला तहसील मिलोट जिला मुक्तसर।

वादी

बनाम

1 सन्तो पत्नी गोपीराम जाति जाट निवासी सिखवाला तहसील मलोट जिला मुक्तसर।
2. सतपालराम पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी सिखवाला तहसील मलोट जिला मुक्तसर
3. जगदीश कुमार पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी सिखवाला तहसील मलोट जिला मुक्तसर
4. सीमा पुत्री गोपीराम जाति जाट निवासी सिखवाला तहसील मलोट जिला मुक्तसर
5. सुनेहरी पत्नी हरफुलराम जाति जाट निवासी सिखवाला तहसील मलोट जिला मुक्तसर
6. रिषिराज पुत्र हरफुलराम जाति जाट निवासी सिखवाला तहसील मलोट जिला मुक्तसर
7. शकुन्तला पुत्री हरफुलराम जाति जाट निवासी सिखवाला तहसील मलोट जिला मुक्तसर
8. दर्शनादेवी पुत्री हरफुलराम जाति जाट निवासी सिखवाला तहसील मलोट जिला मुक्तसर
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 249 सन 2021 निर्णय दिनांक– 27.10.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा डुमासर के खाता संख्या 340/313 की कुल 3.2620हैक में मृतक गोपीराम, दुलीचन्द, हरफुलराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 अकेला 1/3 हिस्सा का एवं रोही मौजा डुमासर के खाता संख्या 283/266 की कुल 7.0200हैक में वादी 5377/70200हिस्सा एवं मृतक गोपीराम के नाम 2689/35100हिस्सा मे प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब के एवं मृतक हरफुलराम के नाम दर्ज 2689/35100 हिस्सा में प्रतिवादी संख्या 6 अकेला एवं मृतक दुलीचन्द के नाम दर्ज 5377/70200 हिस्सा में वादी अकेला 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब 1/3 हिस्सा, एवं प्रतिवादी संख्या 6 अकेला 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है मृतक गोपीराम हरफुलराम दुली चन्द का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 27.10.2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट....गोरखाना